

सं. 19011/24 /2020/के.हि.प्र.सं./अल्प.ग.प्रशि. /505/1004

दिनांक: 02.11.2020

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय ।
2. विभागाध्यक्ष, सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/निगम/उद्यम/ स्वायत्तशासी तथा सांविधिक निकाय/राष्ट्रीयकृत बैंक आदि ।
3. राजभाषा सेवा के सभी अधिकारी ।

विषय -संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों/सांविधिक निकायों/उद्यमों/अभिकरणों/निगमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए संस्थान द्वारा आयोजित ऑनलाइन गहन हिंदी कार्यशालाओं का विवरण - वर्ष 2021

महोदय/महोदया,

गृह मंत्रालय के आदेश सं. 40/3/2020-डी. एम-1(ए) दिनांक 17 मई, 2020 के क्रम सं.2(III) के अनुसरण में, ऑनलाइन प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों, उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों/उद्यमों/अभिकरणों/ निगमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन गहन हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना है। इन कार्यशालाओं में सभी कार्यालयों के अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकते हैं।

वर्ष 2021 में आयोजित की जाने वाली ऑनलाइन गहन हिंदी कार्यशालाओं का विवरण तिथियों सहित अनुलग्नक-1 में दिया जा रहा है, ताकि सभी संबंधित कार्यालय प्रतिभागियों की सुविधा को ध्यान में रखकर कार्यशाला के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार पूरे वर्ष के लिए उन्हें एक साथ नामित कर सकें।

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	अवधि	भारत सरकार के कार्यालय जिनके लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है
1.	ऑनलाइन गहन हिंदी कार्यशाला	(क) विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों को सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए अभिप्रेरित करना । (ख) विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा कार्यालयीन काम को हिंदी में करने की झिझक को दूर करना । (ग) कार्यालयीन कार्य को करने की दक्षता (लेखन कौशल) प्रदान करना । (घ) राजभाषा विभाग द्वारा विकसित यांत्रिक उपकरणों/ साफ्टवेयरों की जानकारी प्रदान करना ।	पाँच अर्ध कार्य दिवसीय	संघ सरकार के मंत्रालयों/ विभागों तथा उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांविधिक निकाय/उद्यम/ अभिकरण/निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंक आदि ।

पात्रता

- राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी कार्यालयों को निदेश दिए गए हैं कि उन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालयीन हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाए, जिन्हें हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान * प्राप्त है। (कार्यसाधक ज्ञान की परिभाषा अलग से * I में दी गई है।)
- जो हिंदीतर भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, परंतु जिन्हें इसके बावजूद भी हिंदी में कार्यालय का कार्य करने में कठिनाई होती है, उन्हें इन कार्यशालाओं में नामित किया जा सकता है।
- उन अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने अभी तक केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित हिंदी कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।

*** हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त उसे कहा जाएगा जिस कर्मचारी ने:-**

मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई अन्य परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की है।

या

- केंद्र सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ अथवा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत वांछित परीक्षा उत्तीर्ण की है।

या

- यदि कोई कर्मचारी नियम 10(1) (ख) के प्रावधान के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में यह घोषणा करता है कि उसने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

नामांकन विधि एवं प्रपत्र

- उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के ब्यौरे अनुलग्नक 'III' में दिए गए प्रपत्र में यथा समय इस कार्यालय को मेल द्वारा भिजवाएं, ताकि कर्मचारियों को पत्राचार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो।
- प्रशिक्षण के लिए नामित अधिकारी को इस कार्यालय द्वारा अलग से यथासमय ई-मेल द्वारा पुष्टि पत्र भेजा जाएगा।
- ऑनलाइन कार्यक्रम का समय अपराह्न 14.30 से 17.00 बजे तक निर्धारित है।

विशेष

- ऑनलाइन गहन हिंदी कार्यशालाओं के वार्षिक विवरण के लिए अनुलग्नक 'I' देखें।
- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इस पत्र को सभी संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं में ई-मेल द्वारा शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें।

- प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत प्रत्येक प्रतिभागी को प्रमाण-पत्र दिया जाएगा ।
प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वांछित जानकारी के लिए संबंधित एकक के प्रभारी सहायक निदेशक श्रीमती समीर त्रिखा से फोन नं. 011-23793521/09729177268 तथा ई-मेल chti1182@nic.in पर संपर्क करें।
- संस्थान के अधिकारियों के संपर्क सूत्र के लिए अनुलग्नक-II देखें।

भवदीया,
27.10.2020
(सुमन लाल)

निदेशक(प्रभारी)

पृष्ठांकन संख्या-19011/24/2020/कें.हि.प्र.सं./ अल्प.ग.प्रशि/505सं 1004

दिनांक: 02/11/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. संयुक्त सचिव (रा.भा.) के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी -II भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली ।
2. संपादक, राजभाषा भारती, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी -II भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली ।
3. संयुक्त निदेशक (मुख्यालय) हिंदी शिक्षण योजना, सातवां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली ।
4. सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना ।
5. सभी उपनिदेशक (कार्यान्वयन) को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
6. उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली ।
7. सहायक निदेशक, अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सातवां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली ।
8. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सातवां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली को इस निदेश के साथ कि वे इसे राजभाषा विभाग के पोर्टल/वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं ।
9. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सातवां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
10. प्रभारी सहायक निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, हैदराबाद, बंगलूरु।

27.10.2020
(सुमन लाल)
निदेशक (प्रभारी)

ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम कलेंडर - वर्ष 2021

गहन हिंदी कार्यशालाएँ
(पाँच अर्ध कार्य दिवसीय)

क्रम संख्या	कार्यशाला सं.	प्रशिक्षण-अवधि
1.	506	11.01.2021 से 15.01.2021
2.	507	01.02.2021 से 05.02.2021
3.	508	22.02.2021 से 26.02.2021
4.	509	05.04.2021 से 09.04.2021
5.	510	03.05.2021 से 07.05.2021
6.	511	07.06.2021 से 11.06.2021
7.	512	21.06.2021 से 25.06.2021
8.	513	05.07.2021 से 09.07.2021
9.	514	26.07.2021 से 30.07.2021
10.	515	09.08.2021 से 13.08.2021
11.	516	23.08.2021 से 27.08.2021
12.	517	06.09.2021 से 10.09.2021
13.	518	20.09.2021 से 24.09.2021
14.	519	22.11.2021 से 26.11.2021
15.	520	06.12.2021 से 10.12.2021

संपर्क सूत्र

1.	2.
निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय सातवां तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सी.जी.ओ. परिसर लोदी रोड, नई दिल्ली -110003 दूरभाष-011-24361852 फैक्स-011-24361852 ई-मेल - dirchti-dol@nic.in	प्रभारी सहायक निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण एकक 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110011 दूरभाष-011-23793521, मो.9729177268 फैक्स-011-23793521 ई-मेल chti1182@nic.in

प्रपत्र

अधिकारी/ कर्मचारी नाम	पदनाम	मातृभाषा	वर्तमान का स्थल	तैनाती	शैक्षिक/ तकनीकी अर्हता	हिंदी का ज्ञान	टेलीफोन नं(कार्यालय/ मोबा./ व्हाट्सएप नंबर	ई मेल आई डी

प्रायोजक अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय का पूरा पता.....

दूरभाष सं. फैक्स नं.

ई मेल आई डी ..